



156/25

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....बालाड़.....दिनांक :- 27/09/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बालाड़  
 भू-अभिलेख निरीक्षक विश्वहिंडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंघा के आधार पर राजस्व  
 भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अलीमा तहसील कपासन  
 चित्तौड़गढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 142,143,144  
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
 आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	अलीमा	142,143 144	शंकर पिता रामा जटिया-धमार शे. ज. ब.	शंकर पिता रामा जटिया शे. ज. ब.

क्रमांक / रा.ज.स. / 2025 / 156  
 प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शां किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शंकर पिता रामा जटिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 कपासन जिला चित्तौड़गढ़ 27/09/25

पीठासीन अधिकारी  
 सहायक कलेक्टर  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़